बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

आदेश

श्रम ससांधन विभाग की अधिसूचना संख्या–2073, दिनांक–16.07.2015 के माध्यम से विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रतिठानों/कारखानों के निबंधन/लाईसेंस/सर्टिफिकेट/नवीकरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के त्वरित निष्पादन हेतु 15 कार्य दिवस निर्धारित किया गया था।

राज्य में व्यवसाय सरलीकरण को बढ़ावा देने एवं निवेश को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–6 एवं बिहार कारखाना नियमावली के नियम 4, 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निष्पादन हेतु 04 कार्य दिवस निर्धारित किया जाता है।

कारखाना अधिनियम, 1948 के मामलें में सभी निबंधन पदाधिकारी आवेदन के साथ नियमानुसार आवश्यक संलग्न दस्तावेज के संतुष्टि के पश्चात् निबंधन प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के चार कार्य दिवस के अंदर निर्गत करे। यदि जाँच की आवश्यकता महसूस होती है तो निबंधन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर जाँच किया जा सकता है।

ह० 21/5/25

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–01/F1-02/2021 श्र०सं०– 2639 पटना, दिनांक– 21/5/25

प्रतिलिपिः– मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 21/5/25

श्रमायुक्त, बिहार